ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में बोर्ड की बैठकें आम जनता के लिये खुली नहीं होगी, परन्तु बोर्ड द्वारा लिये गये निणर्य को शासन की अनुमति के उपरान्त जनप्रतिनिधियो /बोर्ड के कार्मिको द्वारा जनता तक पहुँचाया जायेगा। शासन द्वारा नियुक्त जनप्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य के रूप में बैठक का अंग होते है।